न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 146 / 2023 प्रार्थना पत्र

GCMS No. – 2023 / 488

1. भैरूलाल पिता शंकरलाल गुर्जर निवासी बरडा तह० निम्बाहेडा ।
2. गोवर्धनलाल पिता शंकरलाल गुर्जर निवासी बरडा तह० निम्बाहेडा ।
3. लीलाबाई पिता शंकरलाल पत्नी ओमप्रकाश गुर्जर निवासी बरडा तह० निम्बाहेडा ।
4. टम्मुबाई बेवा शंकरलाल गुर्जर निवासी बरडा तह० निम्बाहेडा ।
5. बाबुलाल पिता डालचन्द गुर्जर निवासी बरडा तह० निम्बाहेडा ।
6. किशनलाल पिता डालचन्द गुर्जर निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा ।
7. पप्पुलाल पिता डालचन्द गुर्जर निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा ।
8. पारस मल पिता रतनलाल गुर्जर निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा ।
9. नितेश पिता किशनलाल गुर्जर निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा ।
10. पुष्पाबाई बेवा किशनलाल गुर्जर निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा ।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. दुर्गाशंकर पिता डाडमचन्द जी गुरू निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा राज० ।
2. दीपक शारदा पुत्र महेश प्रकाश शारदा जाति माहेश्वरी निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा राज० ।
3. लव कुमार आहूजा पुत्र रमेश कुमार आहूजा जाति सिंधी निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा राज०।
4. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, निम्बाहेडा राज०।
5. राज० सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।

–विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955</u>

उपस्थित :–1–श्री शम्भूलाल तेली – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2–श्री नरेन्द्र वैष्णव –अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 से 03

:: निर्णय ::

दिनांक :– 09.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वाके मोजा बरडा प०ह० बरडा तह० निम्बाहेडा में खाता सं० 83 की आ०नं० 570 / 53 रकबा 0.3600 हेक्टेयर लगानी 6 रूपये 84 पैसे एवं आ०नं० 66 रकबा 0.1600 हेक्टेयर लगानी 3.04 रूपये स्थित है। इसी प्रकार खाता खाता संख्या 116 की आराजी नम्बर. 53 रकबा 0.52 स्थित है।

2. उक्त विपक्षी सं० 1 दुर्गाशंकर के पिता डा[illegible]जी द्वारा आज से करीब 50 साल पहले उवक्त आराजियात को [illegible] प्रार्थी संख्या 4 के पति शंकरलाल तथा प्रार्थी संख्या [illegible] के पिता डा[illegible] एवं प्रार्थी किशनलाल संख्या 9 व 10 के पिता किशनलाल जी को विक्रय क[illegible] कब्जा क्रेतागण शंकर[illegible] रतनलाल, डालचन्द पिता नारायणलाल निवासी बरडा को [illegible]प दिया, तभी से मौ[illegible]शंकरलाल, रतनलाल, डालचन्द अपने जीवनकाल में काबिज रहे और उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण उनके विधिक वारिसान काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:32:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर निम्बाहेडा

3. प्रार्थीगण के पिता व पति क्रेतागण शंकरलाल, रतनलाल, डालचन्द जी ने उक्त आराजियात खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा यही सोचते रहे कि खाते में नाम दर्ज हो गया होगा, लेकिन इसी दौरान शंकरलाल, रतनलाल, डालचन्द जी की मृत्यु हो गई और उनके वारिसान उक्त आराजियात पर काबिज हो गये लेकिन उनको राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने की जानकारी नहीं थी और अभी हाल ही में प्रार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड की जानकारी की तो पता चला कि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम ही दर्ज नहीं हुआ। जिस पर प्रार्थीगण ने विपक्षी सं० 1 से उक्त आराजियात को प्राथर्थीगण के नाम पर दर्ज कराने हेतू कहा तो विपक्षी सं० 1 टालचाल करता रहा और कहता रहा कि आप अपने स्तर पर कार्यवाही करके दावा करके जमीन आपके नाम करा लो, मुझे आपत्ति नहीं हैं। परन्तु इसी बीच प्रार्थीगण को अभी दिनांक 31.07.2023 को जानकारी हुई कि विपक्षी सं० 1 ने प्रार्थीगण के पिता व पति को विक्रीत उक्त आराजियात को पुनः धोखे से विपक्षी सं० 2 व 3 को विक्रय कर दी। परन्तु कब्जा प्रार्थीगण का ही चला आ रहा हैं इसलिये प्रार्थीगण को उक्त रजिस्ट्री की जानकारी नहीं हुई। परन्तु अब मौके पर विपक्षी सं० 1.2.3 द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू हो रहे है तथा समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं है तथा शेष बची जमीन भी विपक्षी सं० 1 अन्य को विक्रय करने पर उतारू हैं, इसलिये प्रार्थीगण को यह दावा खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतू पेश करना पड रहा हैं।

4. वर्णित आराजियात प्रार्थीगण के पिता व पति क्रमशः शंकरलाल, रतनलाल एवं डालचन्द की खरीदशुदा होकर मौके पर वक्त खरीद 50 साल से वो अपने जीवनकाल में काबिज रहे और उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण उनके विधिक उत्तराधिकारी वारिसान काबिज चले आ रहे है इसलिये प्रार्थीगण उक्त वाद पत्र की चरण सं० 1 में अंकित आराजियात को अपनी खातेदारी में घोषित कराने के अधिकारी हैं।

5. विपक्षी सं० 1 को यह अच्छी तरह से जानकारी में था कि उसके पिता द्वारा उक्त आराजियात को शंकरलाल, रतनलाल व डालचन्द को विक्रय कर रखी है और कब्जा प्रार्थीगण का निरन्तर चल रहा है फिर भी विपक्षी सं० 1 द्वारा उक्त आराजियात को दुबारा से विपक्षी सं0 2व 3 को दिखावटी तौर से भारी राशि लेकर विक्रय कर दी, जबकि कब्जा मौके पर प्रार्थीगण का है तथा विपक्षी सं० 2 व 3 जो कि प्रोपर्टी दलाल है उनको भी सारी स्थिति की जानकारी थी कि जमीन पर कब्जा प्रार्थीगण का है फिर भी उन्होने फर्जी तौर से जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराई ऐसा हस्तांतरण विधि अनुसार शून्य है क्योंकि आज से करीब 50 साल पहले ही इस जमीन का विक्रय शंकरलाल, रतनलाल व डालचन्द के नाम पर हो चुका है इस प्रकार जब पूर्व की रजिस्ट्री है तो उसी जमीन को दुबारा से विक्रय करना या पंजीयन कराना विधि अनुसार शुन्य है धोखाधडी में आता हैं। इसलिये उक्त आराजियात का जो भी विक्रयपत्र दिखावटी तौर से विपक्षी सं० 2 व 3 के नाम पर कराया उसे शून्य करार दिया जाना आवश्यक है।

6. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है कि वो प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात से जबरन बेदखल नहीं करें न करावें तथा आराजियात को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द हस्तांतरण नहीं करे न करावं तथा किसी दस्तावेजका पंजीयन नही करें न करावें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे प्रार्थीगण के हक अधिकार प्रभावित हो। यदि विपक्षीगण को पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पायेगी तथा प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र पेश करना ही व्यर्थ हो जावेगा। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस साबित होकर सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। इसलिए निवेदन है कि मूल वाद के अंतिम निर्णय तक विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात से जबरन बेदखल नहीं करें न करावें तथा आराजियात को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द हस्तांतरण नहीं करे न करावें तथा किसी दस्तावेज का पंजीयन नही करें न करावें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे प्रार्थीगण के हक अधिकार प्रभावित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:32:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा

7. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 से 3 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

I. वादग्रस्त आराजियात विपक्षी नं० 1 के पिता डाडमचन्दजी द्वारा आज से करीब 50 वर्ष पहले प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता व प्रार्थी संख्या 4 के पति शंकरलाल तथा प्रार्थी संख्या 6 व 7 के पिता डालचन्द एवं प्रार्थी संख्या 9 व 10 के पिता किशनलाल को कभी भी विक्रय नही की गई है, तथा कोई कब्जा कभी भी सुपुर्द नही किया गया हैं, मौके पर वादग्रस्त आराजी नम्बर 570/53 रकबा 0.3600 हेक्टेयर व आराजी नं0 66 रकबा 0.1600 हेक्टेयर भूमि पर पूर्व मे विपक्षी नं० 1 के पिता डाडमचन्द जी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे और डाडमचन्दजी के देहान्त के बाद विपक्षी नं० 1 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था और उक्त भूमि विपक्षी नं० 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त मे चली आ रही थी और विपक्षी नं० 1 को अपने घर खर्च हेतु रुपयो की आवश्कता होने से विपक्षी नं0 1 द्वारा आराजी नं0 570/53 रकबा 0.3600 हेक्टेयर भूमि रामेश्वरीबाई पत्नि रमेशचन्द्र सिंधी निवासी निम्बाहेडा व नेहा शारदा पत्नि दीपक शारदा माहेश्वरी निवासी निम्बाहेडा को दिनांक 15/06/2023 पंजीयन दिनांक 07/07/2023 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया, तभी से उक्त भूमि विक्रेता के स्वामित्व आधिपत्य की चली आ रही हैं, तथा आराजी नं0 66 विपक्षी नं01 के खातेदारी कब्जे मे चली आ रही हैं, तथा आराजी नं0 53 रकबा 0.5200 हेक्टेयर भूमि प्रकाश पुत्र कचरुजी व पुष्पा पुत्र कचरुजी गर्ग निवासी गादोला के खातेदारी कब्जे की थी जो नेहा शारदा पत्नि दीपक शारदा माहेश्वरी निवासी निम्बाहेडा को दिनांक 29/05/2023 पंजीकृत दिनांक 29/05/2023 को विक्रय कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया तभी से उक्त भूमि पर नेहा शारदा का कब्जा चला आ रहा हैं।

II. प्रार्थीगण का कोई कब्जा किसी हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर कभी नही रहा हैं, इसलिए कब्जा होने का तथ्य झुठा लिखा हैं स्वीकार नही हैं, इस प्रकार चरण संख्या 3 सम्पूर्ण रुप से अस्वीकार हैं। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण के पिता व पति शंकरलाल, रतनलाल व डालचन्द को विपक्षी नं० 1 के पिता डाडमचन्द द्वारा कभी भी विक्रय नही की गई है और कोई कब्जा कभी भी सुपुर्द नही किया गया है।. वादग्रस्त आराजियात विपक्षी नं० 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की थी जो न्यायालय उपखंड अधिकारी महोदय निम्बाहेडा द्वारावउनवान दुर्गा शंकर वगेरा बनाम तुलसीबाई वगेरा प्र०सं० 101/2014 निर्णय दिनांक 15/07/2015 को कानुन रुप से बटवारे में विपक्षी नं० 1 दुर्गाशंकर पिता डाडमचन्द व प्रकाश पिता कचरु ब्राहम्ण निवासी गादोला व पुष्पाबाई पिता कचरु जी ब्राहम्ण निवासी गादोला के हिस्से व बटवारे मे अलग अलग खातेदारी मे दर्ज चली आ रही थी उक्त बटवारे की जानकारी प्रार्थीगणो को शुरु से चली आ रही थी वादग्रस्त आराजियात न्यायालय द्वारा विपक्षी नं० 1 के खातेदारी कब्जे काश्त की होना मान कर बटवाडा कर अलग खातेदारी मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है और उक्त भूमि विपक्षी नं01 के खातेदारी में चली आ रही थी, प्रार्थीगण का कब्जा होने का तथ्य झुठा लिखा है राजस्व रेकार्ड में विपक्षी नं० 1 के नाम पर दर्ज होने की जानकारी का तथ्य [illegible] नही है, तथा अभी दिनांक 31/07/2023 को प्रार्थीगणो को विपक्षी नं० [illegible] धोखे से विपक्षी नं0 2 व 3 को विक्रय करने का तथ्य झुठा लिखा [illegible] प्रार्थीगणो ने उक्त रजिस्ट्री की जानकारी शुरु से चली आ रही है [illegible] पर कब्जा विक्रय करने के बाद विक्रेतागण का शांतिपूर्ण तरीके से चला आ रहा है, प्रार्थीगण का कब्जा होने का तथ्य झुठा लिखा है स्वीकार नही हैं, जब प्रार्थीगण का कोई कब्जा है ही नही और प्रार्थीगणो के पिता व पति को विपक्षी नं० 1 के पिता द्वारा कोई भूमि विक्रय की ही नही तो कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं, इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की खातेदारी की घौषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:32:10 IST
Reason: SelfAttested

. प्रार्थीगण के पिता व पति शंकरलाल रतनलाल व डालचन्द को विपक्षी नं01 के पिता डाडमचन्द द्वारा 50 वर्ष कोई भूमि कभी भी विकय नही की गई हैं, इसलिए जब कोई भूमि विकय की ही नही तो मौके पर वक्त खरीद से 50 वर्षों से प्रार्थीगण का कब्जा होने का तथ्य झुठा लिखा है प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजियात को अपनी खातेदारी की घौषित कराने का अधिकारी नहीं हैं। इस प्रकार चरण संख्या 5 सम्पूर्ण रुप से अस्वीकार हैं। वर्णित तथ्य गलत है स्वीकार नही हैं वादग्रस्त भूमि विपक्षी नं० 1 के पिता डाडमचन्द द्वारा प्रार्थीगणो के पिता व पति को कभी भी विकय नही की गई है तथा कोई कब्जा कभी भी सुपुर्द नही किया है मौके पर वादग्रस्त आराजी नम्बर 570/53 रकबा 0.3600 हेक्टेयर व आराजी नं0 66 रकबा 0.1600 हेक्टेयर भूमि पर पूर्व मे विपक्षी नं० 1 के पिता डाडमचन्द जी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे और डाडमचन्दजी के देहान्त के बाद विपक्षी नं0 1 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था और उक्त भूमि विपक्षी नं० 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त मे चली आ रही थी और विपक्षी नं० 1 को अपने घर खर्च हेतु रुपयो की आवश्कता होने से विपक्षी नं० 1 द्वारा आराजी नं0 570/53 रकबा 0.3600 हेक्टेयर भूमि रामेश्वरीबाई पत्नि रमेशचन्द्र सिंधी निवासी निम्बाहेडा व नेहा शारदा पत्नि दीपक शारदा माहेश्वरी निवासी निम्बाहेडा को दिनांक 15/06/2023 पंजीयन दिनांक 07/07/2023 को विक्रय करकब्जा सुपुर्द कर दिया, तभी से उक्त भूमि विक्रेता के स्वामित्व आधिपत्य की चली आ रही हैं, तथा आराजी नं0 66 विपक्षी नं01 के खातेदारी कब्जे मे चली आ रही हैं, तथा आराजी नं0 53 रकबा 0.5200 हेक्टेयर भूमि प्रकाश पुत्र कचरुजी व पुष्पा पुत्र कचरुजी गर्ग निवासी गादोला के खातेदारी कब्जे की थी जो नेहा शारदा पत्नि दीपक शारदा माहेश्वरी निवासी निम्बाहेडा को दिनांक 29/05/2023 पंजीकृत दिनांक 29/05/2023 को विकय कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया तभी से उक्त भूमि पर नेहा शारदा का कब्जा चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण का कोई कब्जा किसी हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर कभी नही रहा हैं, उक्त विकय पत्रो की जानकारी प्रार्थीगणो को शुरु से चली आ रही है

IV. प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही विपक्षी नं0 1 द्वारा पूर्णप्रतिफल प्राप्त कर वादग्रस्त भूमि को रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है इसलिए प्रार्थीगण उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बगैर यह वाद व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे चलने योग्य नही हैं। विपक्षी नं० 1 द्वारा कोई धोखाधडी नही की है तथा कोई दुबारा विक्रय नही किया गया हैं। इसलिए यह विकय पत्र दिखावटी नही है, इसलिए उक्त विकय पत्र को प्रार्थीगण किसी प्रकार से शुन्य घौषित कराने के अधिकारी नही है। इसलिए चरण संख्या 6 सम्पूर्ण रुप से अस्वीकार हैं। वादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रार्थीगणो का कोई कब्जा किसी हैसितय से नही रहा है वादग्रस्त भूमि विपक्षी नं० 1 द्वारा विक्रय करने के बाद मौके पर खरीददार विपक्षी नं0 2व 3 के परिवार जो का शांतिपूर्ण तरीके सेकब्जा चला आ रहा हैं इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है वादग्रस्त भूमि विपक्षी नं० 1 के खातेदारी व कब्जे की थी जिसका उपयोग उपभोग करने का हस्तांरतीण बय बक्शीश करने का विपक्षी नं० 1 को था जिसको विपक्षीगण के परिवारजन को विकय की गई हैं, प्रार्थीगणो को किसी प्रकार की कोई अपूर्णय क्षति होने की संभावना नहीं हैं इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नही हैं। उक्त चरण में वर्णित तथ्य गलत है स्वीकार नही है प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नही है सुविधा का संतुलन विपक्षीगण के पक्ष मे है इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं हैं। उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही विपक्षी नं0 1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विपक्षी नं0 2 व 3 के परिजनो को वादग्रस्त भूमि विक्रय कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया है इसलिए प्रार्थीगण उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बगैर यह वाद व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे चलने योग्य नही हैं खारीज होने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:32:10 IST
Reason: SelfAttested

8. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया ।

उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी विन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य विन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. **प्रथम दृष्टया मामला**– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पिता व पति क्रेताकण ने उक्त आराजियात खरीदकर कब्जा प्राप्त करना बताया है परन्तु अपने प्रकरण को साबित कराने बाबत प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि क्रय की गई हो जबकि विपक्षी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि का रेकार्डेड खातेदार है और विपक्षीगण का ही कब्जा होना साबित है। विपक्षी क्रमांक 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी नम्बर 570/53 रकबा 0.3600 हैक्टेयर भूमि रामेश्वरीबाई पत्नि रमेशचन्द्र सिंधी व नेहा शारदा पत्नि दीपक शारदा निवासी निम्बाहेडा को दिनांक 15.06.2023 पंजीयन दिनांक 07.07.2023 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया है तथा आराजी नम्बर 66 विपक्षी क्रमांक 1 की खातेदारी में चली आ रही है तथा आराजी नम्बर 53 रकबा 0.52 हैक्टेयर भूमि प्रकाश पुत्र कचरू जी व पुष्पा पुत्री कचरू जी निवासी गादोला के खातेदारी की थी जो नेहा शारदा पत्नि दीपक शारदा माहेश्वरी निवासी निम्बाहेडा को 29.05.2023 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया जिसका अंकन विक्रय पत्र में किया है इस प्रकार विपक्षी क्रमांक 1 रेकार्डेड खातेदार है व उसका कब्जा विक्रय पत्र एवं नकल जमाबन्दी से साबित होता है इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से कानून रूप से पाबन्द कराने की अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिगण के पक्ष में नहीं बनता है।

II. **अपूरणीय क्षति**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थीगण द्वारा अपना कब्जा साबित कराना एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित कराना आवश्यक है जो प्रार्थीगण द्वारा साबित नहीं कराया है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में विपक्षीगणों का जो हिस्सा दर्ज है उसी अनुसार उनका कब्जा चला आ रहा है। अपूर्णीय क्षति विपक्षीगण के पक्ष में होने से प्रार्थिगण को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

III. **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थिगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थिगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिगण के पक्ष में नहीं बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:32:10 IST
Reason: SelfAttested

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थिगण के पक्ष में साबित नहीं होते है। पत्रावली के अवलोकन

से वादग्रस्त भूमि विपक्षी क्रमांक 1 की खातेदारी व कब्जे की है और विपक्षी क्रमांक 1 द्वारा उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही अपनी आराजियात को अन्य व्यक्तिओ को विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित करा दिए है इसलिए उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय निरस्त कराए बगैर यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में चलने योग्य नही है। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थिगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.08.2023 को खारिज किया जाना उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

—:आदेशः—

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:32:10 IST
Reason: SelfAttested